तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर अपील नं. 37/2020 किस्म 225 आर.टी.एक्ट. बअनवान रामदान बनाम ताराराम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

04.11.2020

पीठासीन अधिकारीः— श्री नखतदान बारहठ आर.ए.एस.

उपस्थितः— श्री बांकाराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
श्री भाखराराम गोदारा अधि., श्री देवीलाल कुमावत अधि.,
श्री भजनलाल गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 04.11.2020

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 212/2019 बअनवान ताराराम बनाम नखताराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 14.09.2020 के विरूद्ध पेश हुई।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 385 रकबा 244.02 बीघा व खसरा संख्या 381 रकबा 90.04 बीघा मौजा भगवानोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र निम्बला तहसील शिव जिला बाड़मेर में अवस्थित है जिससे लगते विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 292, 293, 352, 671/351, 781/633, 718/480, 717/480, 480/358, 707/483, 360, 383, 361, 363, 509/38 प्रार्थीगण के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ते हैं। प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाले कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण अपनी अन्य भूमि के साथ साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेते है, जिससे प्रार्थीगण का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। प्रार्थीगण के सड़क तक आवागमन के लिये इकलौता विकल्प यही रास्ता है जिसकी उन्हें अत्यधिक आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में आदेश दिनांक 14.09.2020 करते समय तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को अनदेखा करते हुए इसे पारित किया है जिसमें कानूनी व वाक्याती भूल की है, जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष ने लोक अदालत की भावना से आपसी सहमती से राजीनामा कर उभयपक्ष के हस्ताक्षरयुक्त प्रस्तावित रास्ता परिशिष्ट "क" पेश कर उसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने पर सहमति जाहिर की। अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने एक आवेदन वास्ते राजीनामा में नक्शा में दर्शाया गया रास्ता बिंदु य से श से खसरा संख्या 360 में रास्ता निकालने बाबत् पेश कर निवेदन किया कि अपील में हम पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने से हमने 03 गट्ठा चौड़ा रास्ता लेना स्वीकार किया है जो रास्ता संलग्न नजरी नक्शा में अ,ब,स,द,,य,र,ल,व,श तक स्वीकार है तथा श के बाद केवल खसरा संख्या 360 में ही पूरा रास्ता निकाला जावे। बिंदु संख्या श के बाद में खसरा संख्या

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

633/350 में से रास्ता नहीं लेना चाहते है। आगे यह रास्ता खसरा संख्या 381, 385 तक 03 गट्टा चौड़ाई का रास्ता ही दिया जावे। सहमति से प्रस्तावित उक्त रास्ता चौड़ा करने के सम्बंध में उभयपक्ष की सहमति के **"बिना भविष्य"** में कोई आवेदन व मांग नहीं करेंगे।

उभयपक्ष की उपस्थिति एवं समझाईश के फलस्वरूप लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पेश रास्ते के प्रस्ताव को रेस्पोडेंट के आज रास्ते में वांछित संशोधन हेतु आवेदन के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है। सम्पूर्ण रास्ते की चौडाई 04 गट्टे की बजाय 03 गट्टा रखी जाने के आदेश दिये जाते हैं साथ ही खसरा संख्या 360 तक पहुंचने के पश्चात रास्ता आगे पूरी चौड़ाई में उसी खसरे में रखा जाना भी स्वीकार किया जाता है। मुताबिक प्रस्तुत "परिशिष्ट क" रास्ते हेतु अपीलांट के ग्राम नींबला के खेत खसरा संख्या 352, 292 तथा 781/633 में से रास्ते हेतु रकबा क्रमशः $10.^{1/2}$ बिस्वा, 01.01 बीघा तथा 01.00 बीघा कुल रकबा 02.575 बीघा का प्रतिकर सिंचित भूमि की डी.एल.सी. दर 27945/— बीघा के हिसाब से नियमानुसार रूपये 143916/— अक्षरे रूपये एक लाख तिंयालीस हजार नौ सो सोलह निर्धारित किया जाकर भुगतान किये जाने के आदेश तहसीलदार शिव को दिये जाते है। तहसीलदार शिव रास्ते की संशोधित चौड़ाई 03 गट्टा के हिसाब से प्रतिकर की गणना कर अपीलांट के अलावा रास्ते में ली जाने वाली भूमि के शेष खातेदारों को राशि का भुगतान करें। परिशिष्ट "क" के अनुसार तथा खसरा संख्या 360 के पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे संपूर्ण रास्ता उसी खसरे में रखते हुए उससे आगे भी 03 गट्टा चौड़ाई में रास्ता रहेगा। उभयपक्ष की सहमति के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश में उपरोक्तानुसार संशोधन किया जाता है। परिशिष्ट "क" इस आदेश का अभिन्न अंग होगा तथा इसी अनुरूप राजस्थान सरकार के पक्ष में गैर मुमकिन रास्ते का अमल दरामद करने एवं तरमीम करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव पालना करे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

4/11/2020
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/11/2020
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर